


अचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवेध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं 58 /19-20

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23.3.19	<p>झारखंड सरकार के आदेश-2074/सं 13.05.2016 दिनांक-13.05.2016 सहपाठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 म0 निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-<u>श्रीलाकोला</u> मौजा नं- <u>12</u> खाता नं- <u>142</u> प्लॉट नं- <u>3376</u> रकबा <u>5 कड़वा</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या <u>18</u> के पृष्ठ संख्या <u>3408</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्रीमति नमिता सिंह पति-श्री अनुकुल चन्द्र सिंह</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सहम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के आधार पर/अवेध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध जमान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं जमाबंदी की शक्ति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अत- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक <u>21/4/19</u> को रखें।</p>	<p> धनबाद।</p>

9/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अर्थात् है।
अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनबाद।

29/4/19

अभिलेख उपास्थित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 5/3/19 को रखे।

7/5/19


अचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 29/6/20 को रखे।



अचल अधिकारी
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा कोलाकुसमा मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट नं० 3376 रकबा 5 कड़ई भूमि से संबधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रजिस्टर के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का ताभिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं० (.....) के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे संबधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहती धनबाद को भेजे।

लेखापित एव सशोधत।


29.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।


29.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या- 58 / 2019 (अन्तर्गत घांरा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्रीमति नमिता सिंह

पति- स्व० अनुकुल चन्द्र सिंह

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- कोलाकुछा थाना नं०- 12 खाता नं०- 142 खेसरा नं०- 3376 रकबा- 5 कड़ से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- 2 के पंजी-II भाग 18 के पृष्ठ 3408 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक-.....को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मूलपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4165

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीमती नमिता सिंह प 2-व ~~अव~~
 सा.प. - रामपुर अ.उ.कुल चन्द्र सिंह

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कोल्हासुमा	12	142	3376	5 कट्ठा

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ... 1.8 पृष्ठ सं० ... 3408 ... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 2007/08

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती / दा० खा० मु० सं० 1118.
 (1) 2007/08 के अनुसार जमा बन्दी सं० 144 से चिह्नित शिमा

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीमती वसुधा

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबन्धित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

Handwritten signature and initials

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	098577	15/9/07	2007/08
02	2897557	25/11/10	2010-11